न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक)सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 59 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2009 / 00082

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 रायमल पुत्र वांकाजी, कौम–मेघवाल, साकिन–धानता तहसील–सांचौर, जिला–जालोर		1 हंजा पुत्र काला 2 हणुता पुत्र काला 3 जोधा पुत्र गोवा 4 उतमा पुत्र गोवा 5 हड़मता पुत्र चेना 6 रणछोड़ा पुत्र हड़मता 7 सुरा पुत्र हड़मता, जातियान–मेघवाल, निवासीगण–धानता तहसील–सांचौर, जिला–जालोर 8 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 17.06.2009

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 व 8 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 06.05.2025

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा धानता, पटवार हल्का–अरणाय में मुझ वादी के मालिकाना हक हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 1335 / 660 रकबा 0.33 हैक्टेयर का आया हुआ है। इस[illegible] खसरा संख्या 1336 / 661 रकबा 0.35 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि [illegible] की आई हुई है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा होने पर कब्जा सहज व शां[illegible] निर्बाध रूप से वादी का चला आ रहा है तथा वादी उक्त आराजी का लगान भी अदा क[illegible] आ रहा है। उक्त आराजी में वादी की रहवासीय ओरड़ी बनी हुई है जिसमें वादी मौसम अनुसार रहवास करता आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है। हर समय हाथों में धारियों, लाठियों से सृजित होकर के वादी के सहज व शांतिपूर्ण कब्जा

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रेक) सांचौर

काश्त में दखलंदाजी करते रहते है तथा वादी को काश्त करने में अवरोध पैदा करते रहते है जबकि इस प्रकार करने का प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादी वादग्रस्त आराजी का रेकॉडर्ड खातेदार है तथा आराजी का वादी का माफिक कब्जे काश्त अनुसार तरमीम भी हो चुकी है तथा मौके पर माफिक तरमीम अलग अलग मातें कायम है। प्रतिवादीगण ने एक नाजायज गिरोह के साथ येन केन प्रकारेण वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त से बेदखल कर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा वादग्रस्त आराजी में वादी की बनी ओरडी को जबरन तोड़ना चाहते है जबकि इस प्रकार प्रतिवादीगण को कृत्य करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त कृत्य प्रतिवादीगण का न केवल अवैधानिक बल्कि मनयाना एवं स्वैच्छाधारी है। वादग्रस्त आराजी के बंटवाड़ा होने से पूर्व ही प्रतिवादीगण द्वारा वादी के अलग कब्जे काश्त में दखल करने का पिदा नहीं छोड़ा था तब हैरानी परेशानी से व्यथित होकर वादग्रस्त आराजी का विधिवत् बंटवाड़ा करवाया गया एवं मौके पर माफिक कब्जा काश्त राजस्व नक्शे में तरमीम भी करवाई गई, उसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 अपनी बैजा हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। हर समय वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते रहते है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के अवैध कृत्य को रोकने के लिए मात्र विकल्प दावा पेश करने का होने से यह दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान की सेवा में पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा कर जबरदस्ती कब्जा कर उक्त भूमि में अपनी ढ़ाणीयें वगैरह बनाना चाहते है तथा अवैध तरीके स वादी को बेदखल करना चाहते है। उपरोक्त प्रकार की वादी को एलानियां धमकियां दे चुके है यदि प्रतिवादीगण अवैध गिरोह के नाजायज मजमे के साथ वादी को अपने शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल कर प्रतिवादीगण कब्जा कर लेते है तो वादी को हमेशा के लिए खातेदारी अधिकारों व मालिकाना हक की भूमि से महरूम रहना पड़ेगा। विनायवाद उस समय पैदा हुआ कि दिनांक 10.06.2009 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एक नाजयज गिरोह के साथ वादी क शांतिपूर्ण कब्जा काश्त की भूमि पर आये तथा एलानियां धमकियां दी कि आप उक्त आराजी व ढ़ाणी को छोड़कर चले जाओ अन्यथा आपको जबरन बेदखल कर हम कब्जा कर लेंगे ऐसी सुरत में विनायवाद पैदा हुआ। विनाय की तारीख से दावा अन्दर म्याद पेश है।

दावा दिनांक 17.06.2009 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 7 उपस्थित आये तथा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] खसरा संख्या 660 रकबा 0. 33 हैक्टेयर भूमि वादी की कतई नहीं थी। खसरा संख्या 660 रकबा [illegible] है [illegible] मौके पर पुरा एक चक बना हुआ है तथा पुरे चक पर हम प्रतिवादीगण का ही [illegible] एवं काश्त है। भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है। बंटवाड़े के अभाव में वादी का [illegible] हक हकूक या अधिकार उस पर नहीं होता है। वादी ने कभी उक्त भूमि की बिगोड़ी अदा नहीं की है। वादीगण का उक्त भूमि में कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। खसरा संख्या 660 रकबा 1.34 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी हड़मता की रहवासीय ढ़ाणी बनी हुई है तथा बाल बच्चों सहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:53 IST
Reason: SelfAttested

निवास करता है। वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है तथा न ही भूमि की तरमीम हुई है। उक्त भूमि में वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है कब्जे काश्त के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रतिवादी को बेदखल करने के लिए वादी ने कब्जा प्राप्ति का कोई दावा पेश नहीं किया है। अतः वादी का वाद खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें। प्रतिवादी संख्या 8 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, बावजूद इसके जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

हस्तगत वाद में मुख्य बिन्दू यह किया जाना है :–

1. आया वादी की मौजा धानता पटवार क्षैत्र अरणाय में खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 1335/660, 1336/661 जुमले रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि वादी की आई हुई है जिसमें वादी की रहवासीय ओरड़ी भी बनी हुई है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 वादी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दखलंदाजी न तो वादी स्वयं करें न ही अपने मजदूर य एजेन्ट से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादी विरूद्व प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 प्राप्त करने का हकदार है। (जिम्मे वादी)
2. आया वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने गिरोह के जरिये तंग परेशान कर मानसिक, शारीरिक नुकसान पहुंचाकर 50,000/ पच्चास हजार रूपये खर्चा हर्जा दिलाया जावे। (जिम्मे वादी)
3. आया वादी का कब्जा काश्त नहीं होने से वाद खारिज योग्य है। (जिम्मे प्रतिवादी)
4. आया खसरा संख्या 660 रकबा 1.34 हैक्टेयर पुरा एक चक है। वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण का एडवर्ज पजेशन है। (जिम्मे प्रतिवादी)
5. अन्य दादरसी

इस संबंध में रायमल ने पीडब्ल्यू 1 ग्राम धानता मे मेरी खातेदारी कब्जा काश्त का खेत सरकारी सवा चार बीघा भूमि आई हुई है। उक्त खेत के चारों ओर अलग अलग माठ कायम है। नक्शे में अलग तरमीम लिखी हुई है लेकिन प्रतिवादीगण हड़मता, हंजा पुत्र काला, जोधा पुत्र गोवा, हकमा पुत्र गोवा, हड़मता पुत्र चैना, रणछोड़ा पुत्र हड़मता, सुरा पुत्र हड़मता यह सभी लोग मिलकर मेरे खातेदारी कब्जा काश्त में मुझे बेदखल करना चाहते है उक्त बात को लेकर आये दिन टंटा फसाद करते रहते है। मेरे खेत की माठों को तोड़ते रहते है। उक्त खेत मेरा कब्जा काश्त में विघ्न पैदा करते रहते है। खेत की लगान नियमानुसार मैं अदा करता आ रहा हूं। गिरदावरी में भी मेरे नाम की है। हमारे आपस मे बंटवाड़ा होकर नक्शे में तरमीम भी हो चुकी है। तरमीम अनुसार पर माठे कायम है तथा मेरा शांतिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है इन लोगों का मेरे खेत से कोई लेना देना या अधिकार नहीं है। इस संबंध में हस्तगत वाद में वादी द्वारा जमाबंदी प्रदर्श 1 एवं तरमीम सुदा नक्शा प्रदर्श–2 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये तथा प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने पर शहादत प्रतिवादीगण बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के मालिकाना हक हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 1335/660 रकबा 0.33 हैक्टेयर का आया हुआ है। इसी प्रकार खसरा संख्या 1336/661 रकबा 0.35 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि वादी के कब्जा काश्त की आई हुई है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवाडा होने पर कब्जा सहज व शांतिपूर्ण निर्बाध रूप से वादी का चला आ रहा है तथा वादी उक्त आराजी का लगान भी अदा करता आ रहा है। उक्त आराजी में वादी की रहवासीय ओरड़ी बनी हुई है जिसमें वादी मौसम अनुसार रहवास करता आ रहा है। रहवास करता आ रहा है। अतः खसरा संख्या 1335/660, 1336/661 जुमले रकबा 0.68 हैक्टेयर वादी की खातेदारीसुदा व कब्जासुदा की आई हुई है। उक्त आराजी कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखलंदाजी करें व न ही अन्य किसी से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादी के हक में सादिर फरमावें।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि खेत खसरा नंबर 1335/660 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि वादी की कतई नहीं थी। खसरा संख्या 660 रकबा 1.34 हैक्टेयर मौके पर पुरा एक चक बना हुआ है तथा पुरे चक पर हम प्रतिवादीगण का ही कब्जा एवं काश्त है। भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है। बंटवाड़े के अभाव में वादी का कोई हक हकूक या अधिकार उस पर नहीं होता है। वादी ने कभी उक्त भूमि की बिगोड़ी अदा नहीं की है। वादीगण का उक्त भूमि में कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। खसरा संख्या 660 रकबा 1.34 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी हड़मता की रहवासीय ढ़ाणी बनी हुई है तथा बाल बच्चों सहित निवास करता है। उक्त भूमि पर लगातार प्रतिवादीगण का कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। मूल खसरा संख्या 660 रकबा 1.34 हैक्टेयर भूमि मौके पर पूरा एक चक है जिसमें प्रतिवादी की रहवासीय ढ़ाणी है। वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण का एडवर्ज पजेशन होने से वादी का वाद खारिज योग्य है अतः खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी तथा बहस पर मनन किया तनकीयात अनुसार निर्णय इस प्रकार से है :–

1. **<u>तनकी संख्या 01 :–</u>** उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर होने से इस संबंध में वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श–1 एवं प्रदर्श–2 प्रस्तुत किये तथा वादी [illegible] गवाह रायमल व वगताराम के बयान कमलबद्व करवाये [illegible] अपने सशपथ बयानों में एक ही स्वर में बताया कि [illegible] संख्या 1335/660 रकबा 0.33 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1336/661 रकबा [illegible] हैक्टेयर जुमले रकबा 0.68 हैक्टेयर में लगातार आज दिन तक कब्जा काश्त वादी रायमल का चला आ रहा है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः इस संबंध में पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रेक) सांचौर

अवलोकन किया जिस पर पाया कि खसरा संख्या 1335/660 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि वादीगण की नहीं है। खसरा संख्या 660 रकबा 1.34 हैक्टेयर मौके पर पुरा एक चक है तथा पुरे चक पर प्रतिवादीगण का कब्जा एवं काश्त है। वादी का उक्त भूमि में कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। खसरा संख्या 660 रकबा 1.34 हैक्टेयर में प्रतिवादी हड़मता की रहवासीय ढ़ाणी बनी हुई। कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादी के विरूद्व तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. **तनकी संख्या 02 :–** उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर होने से इस संबंध में वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह माना जावे कि प्रतिवादीगण ने वादी को मानसिक शारीरिक नुकसान पहुंचाकर 50,000/ पचास हजार रूपये खर्चा दिलवाया जावें। अतः उक्त तनकी संख्या 02 वादी के विरूद्व तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. **तनकी संख्या 03 :–** उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर होने से प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् में यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त है इस प्रकार तनकी संख्या 03 वादी के विरूद्व एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. **तनकी संख्या 04 :–** उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर होने से प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में खसरा संख्या 660 रकबा 1.34 हैक्टेयर मौके पर पुरा एक चक है जिसका विधिवत् बंटवाड़ा नहीं हुआ है। उक्त खसरा नंबर में प्रतिवादी हड़मता की रहवासीय ढ़ाणी भी बनी हुई है इस प्रकार उक्त तनकी संख्या 04 वादी के विरूद्व तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से तनकी संख्या 01 लगायत 04 प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादी के विरूद्व निर्णित होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार किये जाने योग्य होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

(प्रमोद कुमा...)
सहायक ...
ट्रेक) सांचौर, जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक **06.05.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर–जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:53 IST
Reason: SelfAttested